



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3604]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2019/कार्तिक 14, 1941

No. 3604]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2019/ KARTIKA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

(आयकर)

**का.आ. 3998(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा सरकारी राजपत्र में संख्या का. आ. 2752(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः

1. उक्त अधिसूचना में;

(क) अनुसूची-I में, क्रम संख्या 67 में प्रविष्टियों के सामने;

(i) कॉलम (3) में, "जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर", शब्दों के लिए, "जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (4) में, "जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिलों", शब्दों के लिए, "जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र के सभी जिलों" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची-II में कॉलम (4) में क्रम संख्या 8 में प्रविष्टियों के सामने, "जम्मू एवं कश्मीर राज्य" शब्दों के लिए "जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना को 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 88 /2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-1]

प्रजा पारमिता, निदेशक

**व्याख्यात्मक ज्ञापन :** यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं हो रहा है।

**नोट :** मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3 उप खण्ड (ii) में का. आ. संख्या 2752(अ) दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2019

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 3998(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Official Gazette *vide* number S.O. 2752(E), dated the 22nd October, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

1. In the said notification, -

(A) in Schedule-I, against the entries in serial number 67,-

(i) in column (3), for the words “Jammu, Jammu and Kashmir”, the words “Jammu, the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh” shall be substituted;

(ii) in column (4), for the words “All districts of State of Jammu and Kashmir”, the words “All districts of the Union territory of Jammu and Kashmir and of the Union territory of Ladakh” shall be substituted;

(B) In Schedule –II, against the entries in serial number 8, in column (4), for the words “State of Jammu and Kashmir” the words “the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of October, 2019.

[Notification No. 88/2019/F. No. 187/9/2019-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Explanatory Memorandum :** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2752(E), dated the 22nd October, 2014.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

**(आयकर)**

**का.आ. 3999(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा संख्या का.आ. 2754(अ) दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 द्वारा (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में कॉलम (4) में क्रम संख्या 4 में प्रविष्टियों के सामने "जम्मू एवं कश्मीर राज्य" शब्दों को "जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" तथा "लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना को 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 89 /2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**व्याख्यात्मक ज्ञापन:** यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

**टिप्पणी:** प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में संख्या का.आ. 2754(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2019

### (INCOME-TAX)

**S.O. 3999(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Official Gazette *vide* number S.O. 2754(E), dated the 22<sup>nd</sup> October, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

1. In the said notification, in the Schedule, against the entries in serial number 4, in column (4), for the words "State of Jammu and Kashmir", the words "the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh" shall be substituted.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of October, 2019.

[Notification No. 89 /2019/F.No. 187/9/2019-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Explanatory Memorandum :** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2754(E), dated the 22<sup>nd</sup> October, 2014.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

### (आयकर)

**का.आ. 4000(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा संख्या का.आ. 2793(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 द्वारा (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में कॉलम (4) में क्रम संख्या 7 में प्रविष्टियों के सामने "जम्मू एवं कश्मीर राज्य" शब्दों को "जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" तथा "लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना को 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 90 /2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**व्याख्यात्मक ज्ञापन :** यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

**टिप्पणी:** प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में संख्या का.आ. 2793(अ) दिनांक 30 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2019

### (INCOME-TAX)

**S.O. 4000(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Official Gazette *vide* number S.O. 2793(E), dated the 30th October, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

1. In the said notification, in the Schedule, against the entries in serial number 7, in column (4), for the words “Jammu and Kashmir”, the words “the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh”, shall be substituted.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of October, 2019.

[Notification No. 90 /2019/F. No. 187/9/2019-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Explanatory Memorandum :** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2793(E), dated the 30th October, 2014.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

### (आयकर)

**का.आ. 4001(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा संख्या का.आ. 2814(अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में मद संख्या (ii) में कॉलम (4) में क्रम संख्या 2 में प्रविष्टियों के सामने “जम्मू एवं कश्मीर राज्य” शब्दों को “जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र” तथा “लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना को 31 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 91/2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**व्याख्यात्मक ज्ञापन :** यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

**टिप्पणी :** प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में संख्या का.आ. 2814(अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2019

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 4001(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Official Gazette *vide* number S.O. 2814(E), dated the 3rd November, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

1. In the said notification, in the Schedule, against the entries in serial number 2, in column (4) in item number (ii), for the words “Jammu and Kashmir”, the words “the Union territory of Jammu and Kashmir, Union territory of Ladakh” shall be substituted.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of October, 2019.

[Notification No. 91 /2019/F.No. 187/9/2019-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Explanatory Memorandum :** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2814(E), dated the 3rd November, 2014.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

**(आयकर)**

**का.आ. 4002(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा संख्या का.आ. 2816(अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः:-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में “जम्मू एवं कश्मीर” शब्दों को, जहां कहीं भी वे आते हों, “जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र” तथा “लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना को 31 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 92/2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**व्याख्यात्मक ज्ञापन :** यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

**टिप्पणी :** प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में संख्या का.आ. 2816(अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2019

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 4002(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Official Gazette *vide* number S.O. 2816(E), dated the 3rd November, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

1. In the said notification, in the Schedule, for the words “Jammu and Kashmir”, wherever they occur, the words “the Union territory of Jammu and Kashmir, Union territory of Ladakh” shall be substituted.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of October, 2019.

[Notification No. 92 /2019/F.No. 187/9/2019-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Explanatory Memorandum :** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2816(E), dated the 3rd November, 2014.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

**(आयकर)**

**का.आ. 4003(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा संख्या का.आ. 2914(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 2014 द्वारा (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः:-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में कॉलम (6) में क्रम संख्या 4 में प्रविष्टियों के सामने “जम्मू एवं कश्मीर राज्य” शब्दों को “जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र” तथा “लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना को 31 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 93/2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**व्याख्यात्मक ज्ञापन :** यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

**टिप्पणी :** प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में संख्या का.आ. 2914(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2019

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 4003(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Official Gazette *vide* number S.O. 2914(E), dated the 13th November, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

1. In the said notification, in the Schedule, against the entries in serial number 4, in column (6), for the words “Jammu and Kashmir”, the words “the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh” shall be substituted.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of October, 2019.

[Notification No. 93 /2019 /F.No. 187/9/2019-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Explanatory Memorandum :** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2914(E), dated the 13th November, 2014.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

**(आयकर)**

**का.आ. 4004(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा संख्या का.आ. 3125(अ) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः—

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-II में कॉलम (4) में क्रम संख्या 6 में प्रविष्टियों के सामने “जम्मू एवं कश्मीर राज्य” शब्दों को “जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र” तथा “लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना को 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 94/2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**व्याख्यात्मक ज्ञापन :** यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

**टिप्पणी :** प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में संख्या का.आ. 3125(अ) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2019

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 4004(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Official Gazette *vide* number S.O. 3125(E), dated the 10th December, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), namely: -

1. In the said notification, in Schedule –II, against the entries in serial number 6, in column (4), for the words “Jammu and Kashmir”, the words “the Union territory of Jammu and Kashmir, Union territory of Ladakh” shall be substituted.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of October, 2019.

[Notification No. 94 /2019/F. No. 187/9/2019-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Explanatory Memorandum :** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3125(E), dated the 10th December, 2014.